

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

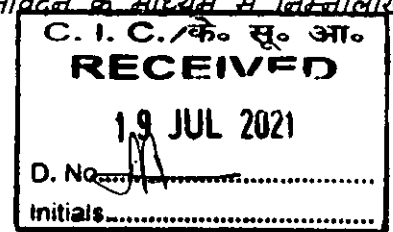
प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00062
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/21/00249
अपीलकर्ता : श्री निरीश प्रसाद गुप्ता
ग्राम: शोकहारा - २,
राजेंद्र पथ बरौनी, पोस्ट - बरौनी - 851112
जिला - बेगूसराय (बिहार)

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.05.2021
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	24.05.2021
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.05.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बी.एस.कसाना
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.06.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.06.2021
निर्णय की तारीख	16.07.2021

I. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.05.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. CIC/ECRHJ/A/2019/130120,
2. CIC/ECRHJ/A/2019/121388,
3. CIC/MORLY/A/2019/114785
4. CIC/RAILB/A/2019/114787



उपर्युक्त सभी फाइलों / मामलों की सुनवाई दिनांक 16.04.2021 को हुई थी / निर्णय / आदेश दिनांक 13.05.2021 तक अप्राप्त है। कृपया वस्तुस्थिति की पूर्ण जानकारी सभी प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराएं।

II. प्रदान की गई सूचना

श्री बी.एस.कसाना, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 31.05.2021 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

०८

"आयोग के आदेश संख्या CIC/ECRHJ/A/2019/130120, CIC/ECRHJ/A/2019/121388, CIC/MORLY/A/2019/114785 & CIC/RAILB/A/2019/114787 दिनांकित 26.04.2021 की प्रतिलिपियाँ प्राप्त नहीं होने संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों को आयोग की वेबसाइट: - <https://dsscic.nic.in/cause-list-report-web/view-decision-all/1> पर दिनांक 27.04.2021 को अपलोड कर दिया था जो उक्त वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं व डाउनलोड भी किये जा सकते हैं। तदपि, उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं।"

III प्रथम अपील का आधार

अपीलकर्ता, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

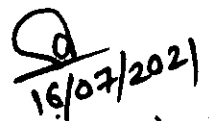
IV निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/21/00249 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (AP)) द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है, इसलिये इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

V. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

VI. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 16.07.2021


(अजीतकुमार वसंतराव सोनटकर)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1). केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग,
नई दिल्ली।
 16/07/2021